न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 49/2021

प्रार्थी

1. प्रशांत टांक पुत्र दिलीप टांक जाति माली नि0 दिल्ली दरवाजा रोड़, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. शिविया पुत्र धन्ना जाति बावरी नि0 सुरायता तह0 सोजत जिला पाली।
2. केवलचंद पुत्र जेठाराम जाति माली नि0 सोजतसिटी, तह0 सोजत जिला पाली।
3. प्रकाश पुत्र नत्थुराम नाबालिग जरिए संरक्षक माता कन्या देवी पत्नि नत्थुराम जाति लौहार नि0 सुरायता तह0 सोजत जिला पाली।
4. धर्मपाल सिंह पुत्र लाबुसिंह जाति राजपुत नि0 सुरायता, तह0 सोजत, जि0 पाली हाल नि0 जोधपुर तह0 सोजत व जिला जोधपुर।
5. इन्द्रा उर्फ बिस्मिला पत्नि कालु खां जाति तेली मुसलमान, नि0 सोजत रोड़, तह0 सोजत जिला पाली।
6. बिस्मिला पत्नि अब्दुल सतार जाति तेली मुसलमान, नि0 सुरायता तह0 सोजत जिला पाली।
7. अरूणा कुमारी पत्नि लक्ष्मण सिंह जाति राजपुत नि0 सुरायता, तह0 सोजत जिला पाली।
8. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

01. श्री देवेन्द्र व्यास एवं श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 23/11/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सुरायता प0ह0 सुरायता भू0अ0निरी0 सुरायता तह0 सोजत में प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 2531/2649 रकबा 2.3800 है0 की कृषि भूमि आई हुई स्थित है जो कृषि भूमि मालपुरिया की सीमा भूमि में लगती है। प्रा0 पत्र के साथ प्रार्थी की खातेदारी की राजस्व जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा पेश किया गया है। उक्त प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 2531/2649 के चिपते ही ग्राम सुरायता में अप्रार्थी संख्या 01 शिविया पुत्र धन्ना की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 2649/2715 रकबा 1.8600 है0 की स्थित है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2531/1 रकबा 1.9200 है0 की भूमि प्रार्थी की भूमि के चिपते एवं पीछे आई हुई स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 04 धर्मपालसिंह की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2528/2 रकबा 1.600 है0 की स्थित है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 2528

रकबा 1.4700 है0 व अप्रार्थी संख्या 07 अरूणा कुमारी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 2549 रकबा 0.0100 गै0मु0बेरा व खसरा नंबर 2530 रकबा 0.0900 है0 किस्म गै0मु0सड़ा की भूमि आई हुई स्थित है, उक्त तमाम कृषि भूमि प्रार्थी की भूमि के चिपते पीछे एवं पड़ौस में आई हुई स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि के खसरा नंबर 2531/2649 रकबा 2.3800 है0 की भूमि व अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की कृषि भूमि के बीच स्थित माठो एवं सीमाओ एवं धोरा पाली को लेकर हमेशा मौके पर भारी विवाद को लेकर आपसी मन मुटाव व विवाद होते रहते है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 प्रार्थी की उक्त भूमि में सीमा ज्ञान/पत्थरगढी के अभाव में अनावश्यक कब्जा करने की आशंका रहती है तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी के अभाव में अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर काश्त करने में भी सीमाओ को लेकर विवाद उत्पन्न करते रहते है मौके पर हर समय सीमा एवं माठ को लेकर भारी विवाद करता रहता है। प्रार्थी सीमांकन पत्थरगढी नियमानुसार करवाना चाहता है जो करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के खसरा नंबर सरहद मौजा सुरायता के खसरा नंबर 2531/2649 रकबा 2.3800 है0 एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02, 05, 06, 08 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 11.10.2022 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 7 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई ईश्तदुआ नही चाहने से पत्रावली में पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10(2) सीपीसी को पेश किया गया। जिसमें बाद विवेचन / विश्लेषण अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 7 को स्ट्रेक आउट किये जाने के आदेश पारीत किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई । बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हंस्ब प्रार्थना पत्र प्रार्थी की सरहद मौजा सुरायता के खसरा नंबर 2531/2649 रकबा 2.3800 है0की कृषि भूमि प्रार्थीया की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा का बरूवे मौका राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर नापचौप करके सीमांकन करवाकर मुटाम लगवाया जावें तत् पश्चात् मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवायी जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने कोई आपति नही होना जाहिर किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सरहद मौजा सुरायता के खसरा नंबर 2531/2649 रकबा 2.3800 है0 की कृषि भूमि प्रार्थीया की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा काश्त की भूमि स्थित का सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाने की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेशः–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा सुरायता के खसरा नंबर 2531/2649 रकबा 2.3800 है0 की कृषि भूमि प्रार्थीया की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके

पर नाप चौप करके मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। सिमाज्ञान का निर्धारित शुल्क प्राथी स्वयं वहन करने राजकोष में जमा करायेगें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 23/11/22 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)